



राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

—: न्यायिक वादों व याचिकाओं से सम्बन्धित प्रकरणों में अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश :—

आयोग में विभिन्न प्रकरणों में अभ्यर्थी अंतिम निर्णय अथवा अंतरिम आदेश के साथ अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत करते रहते हैं किन्तु आयोग द्वारा कई बार उनकी समयबद्ध पालना हेतु समस्या आती है। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे आदेश को प्रस्तुत करते समय निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखें, ताकि उनके प्रकरणों के त्वरित निष्पादन में सहायता मिल सकें :—

1. प्रायः अभ्यर्थियों के अभ्यावेदन में अपने मामले का आवश्यक विवरण जैसे— **याचिका संख्या, रोल नम्बर आदि** अंकित नहीं होते हैं, अतः अभ्यर्थी अपने अभ्यावेदन में आवश्यक रूप से उक्त सम्पूर्ण विवरण अंकित करें।
2. अनेक प्रकरणों में अभ्यर्थी केवल एकपक्षीय अंतरिम आदेश के साथ आते हैं। ऐसे प्रकरणों में वे याचिका की प्रमाणित प्रति भी अविलम्ब साथ में प्रस्तुत करें, ताकि प्रकरणों में समुचित पालना की जा सके, अन्यथा उत्तरदायित्व याची का स्वयं का होगा।
3. अभ्यर्थी अपने अभ्यावेदन के साथ न्यायिक आदेश/निर्णय की दो प्रमाणित प्रतियां शीर्षक (टाईटल) पेज सहित प्रस्तुत करें।
4. अभ्यर्थी अपने अभ्यावेदन में कई बार वांछित सूचना अंकित करने से चूक जाते हैं, अतः यह उचित होगा कि वे इसके लिए आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर भी सूचना भरकर प्रस्तुत करें। अभ्यावेदन का प्रारूप संलग्न है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

कार्यालय उपयोग हेतु

पदनाम	अनुभाग	निर्देश

संक्षिप्त अनुभागीय रिपोर्ट :—

.....

सचिव

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

परीक्षा :—

विषय :—

महोदय,

उक्त संदर्भ में माननीय न्यायालय के आदेश पालनार्थ प्रस्तुत है।

क्र.सं.	याचिका से संबंधित सूचना व विवरण (अभ्यर्थी इसे अवश्य भरें)
1	याचिका संख्या
2	याचिका शीर्षक
3	न्यायिक आदेश की तिथि
4	न्यायिक आदेश से संबद्ध न्यायालय
5	आयोग में न्यायिक आदेश प्रस्तुत करने की तिथि
6	यदि न्यायिक आदेश में पालना की अवधि अंकित है, तो लिखें
7	न्यायिक आदेश की तिथि के बाद यदि आयोग में आदेश प्रस्तुत करने में 1 सप्ताह से अधिक विलंब हुआ है, तो कारण नोटः— विलंब के लिए प्रार्थी उत्तरदायी होगा

याचिका में वांछित अनुतोष या विवाद के मुख्य बिन्दु :— (अभ्यर्थी टिक करें)

1. परीक्षा में सम्मिलित किया जाना	5. पात्रता स्वीकार कर नाम अभिस्तावित किया जाना
2. साक्षात्कार में सम्मिलित किया जाना	6. आवेदन में त्रुटि संशोधित किया जाना
3. परिणाम में सम्मिलित किया जाना	7. उत्तर कृजी संशोधित किया जाना
4. शैक्षणिक योग्यता स्वीकार किया जाना	8. उत्तर पत्रक की प्रति / सूचना प्रदान किया जाना

9. अन्यः—

प्रार्थी

हस्ताक्षर

मोबाइल नम्बर

दिनांक

पता

नाम

.....

रोल नम्बर (यदि कोई हो)

ईमेल आईडी.....

आवेदन पत्र क्रमांक